रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247640
CG-DL-E-27072023-247640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
No. 438] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 558(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 को और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्

"15. सब्सिडी लेखांकन तथा भुगतान:–(1) अधिनियम की धारा 65 के अधीन भुगतान योग्य सब्सिडी का लेखांकन, इस संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य आयोग द्वारा, अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए, तिमाही रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें अन्य सुसंगत ब्यौरों के अतिरिक्त इस निष्कर्ष की सूचना दी जाएगी कि क्या सुसंगत तिमाही में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सब्सिडी की मांग, सब्सिडी प्राप्त श्रेणी द्वारा खपत की गई ऊर्जा और राज्य सरकार द्वारा घोषित उपभोक्ता श्रेणी-वार प्रति यूनिट सब्सिडी, अधिनियम की धारा 65 के अनुसार सब्सिडी के वास्तविक भुगतान तथा देय एवं भुगतान की गई सब्सिडी के बीच के अंतर लेखे के आधार पर की गई थी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, उपयुक्त आयोग द्वारा जारी संबद्ध विनियमों अथवा टैरिफ आदेशों के अनुसार, ('यूनिट' शब्द से किलो वाट घंटा (केडब्ल्यूएच) अथवा किलो वाट (केडब्ल्यू) अथवा हॉर्स पावर (एचपी) अथवा किलो वोल्ट एम्पियर (केवीए) अभिप्रेत है।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तिमाही रिपोर्ट संबंधित तिमाही की समाप्त तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और राज्य आयोग रिपोर्ट की जांच करेगा, और उप-नियम (2) के अनुसार, इसे प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर, संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ जारी करेगा।

(4) यदि सब्सिडी का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है तो, राज्य आयोग, अधिनियम की धारा 65 के उपबंधों के अनुसार, बिना सब्सिडी के टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करेगा।

(5) यदि सब्सिडी लेखांकन और सब्सिडी के लिए बिल देने की प्रक्रिया अधिनियम अथवा उसके अधीन नियमों अथवा विनियमों के अनुसार नहीं पाई जाती है तो, राज्य आयोग, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गैर-अनुपालन के लिए अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित अधिकारी के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करेगा।"

3. उक्त नियम में, विद्यमान नियम 20 की क्रम संख्या को नियम 21 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस क्रम संख्या 21 के पहले, निम्नलिखित नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"**20. वित्तीय स्थिरता के लिए फ्रेमवर्क:** (1) टैरिफ निर्धारण के लिए राज्य आयोगों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी की ट्रेजेक्टरी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहमत और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी राष्ट्रीय स्कीम अथवा कार्यक्रम अथवा अन्यथा के अनुसार होगी।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए, संग्रहण तथा बिलिंग दोनों दक्षताओं के लिए ट्रेजेक्टरी, के उप-नियम (1) के अधीन अनुमोदित ट्रेजेक्टरी के अनुसार राज्य आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(3) विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अधीन उपभोक्ताओं की विद्युत की 24X7 आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के अधीन तैयार की गई संसाधन पर्याप्तता योजना के अनुसार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई, विद्युत की खरीद की समस्त विवेकपूर्ण लागतों को गणना में सम्मिलित किया जाएगा, यदि विद्युत की खरीद पारदर्शी ढंग से की गई हो अथवा खरीद मूल्य का उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया हो।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (1) के अनुसार वितरण प्रणाली के विकास एवं अनुरक्षण के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए की गई समस्त विवेकपूर्ण लागतें पास-थ्रू होंगी।

परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों के लिए लागत का ऐसा पास-थ्रू निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:,-

(i) परिसंपत्ति का निर्माण अनुज्ञप्तिधारी के लिए संबंधित राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित कैपेक्स रोल आउट प्लान के अनुसार किया गया हो;

(ii) परिसंपत्ति की खरीद प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी ढंग से की गई हो;

(iii) परिसंपत्ति को जियो-टैग किया गया हो और निश्चित परिसंपत्ति रजिस्टर में उचित ढंग से दर्ज किया गया हो "

(5) अनुमोदित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि में कमी की ट्रेजेक्टरी से विचलन के कारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लाभ अथवा हानि की गणना औसत विद्युत क्रय लागत के आधार पर की जाएगी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ताओं के बीच भागीदारी की जाएगी। टैरिफ में लाभ का दो-तिहाई उपभोक्ताओं को जाएगा और शेष वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखा जाएगा। हानि की दो-तिहाई का वहन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा और शेष का वहन उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण मानदंड, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आयोगों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

(7) राज्य आयोग द्वारा इक्विटी पर उचित लाभ की अनुमति समग्र जोखिम के मूल्यांकन और प्रचलित पूंजी की लागत के आधार पर दी जाएगी।

(8) राज्य आयोग द्वारा इक्विटी पर लाभ को संबंधित अवधि के लिए, वितरण व्यापार में संबद्ध जोखिमों पर ध्यान देते हुए उपयुक्त संशोधन के साथ, केंद्रीय आयोग द्वारा उत्पादन एवं पारेषण के लिए अपने टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट इक्विटी पर लाभ के साथ संरेखित किया जाएगा।

[फा. सं. 23/18/2022-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम वर्ष 2005 में भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379 (अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार संख्या 817 (अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 तथा सा.का.नि.911 (अ) तारीख 29 दिसंबर, 2022 और सा.का.नि. 466 (अ) तारीख 30 जून, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 15 of the Electricity Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely:-

"15. Subsidy accounting and payment.-(1) The accounting of the subsidy payable under section 65 of the Act, shall be done by the distribution licensee, in accordance with the Standard Operating Procedures issued by the Central Government, in this regard.

(2) A quarterly report shall be issued by the State Commission for each distribution licensee, in its jurisdiction, giving findings whether demands for subsidy were raised by the distribution licensee in the relevant quarter based on accounts of the energy consumed by the subsidised category and consumer category wise per unit subsidy declared by the State Government, the actual payment of subsidy in accordance with section 65 of the Act and the gap in subsidy due and paid as well as other relevant details.

Explanation: For the purpose of this rule, (The term "Unit" means Kilo Watt Hour (kWh) or Kilo Watt (kW) or Horse Power (HP) or Kilo Volt Ampere (kVA), in accordance with the relevant Regulations or the Tariff Orders issued by the Appropriate Commission.

(3) The quarterly report shall be submitted by the distribution licensee within thirty days from end date of the respective quarter andthe State Commission shall examine the report, and issue it with corrections, if any, in accordance with sub-rule (2), within thirty days of the submission.

(4) In case the subsidy has not been paid in advance, then the State Commission shall issue order for implementation of the tariff without subsidy, in accordance with provisions of the section 65of the Act.

(5) If subsidy accounting and the raising bills for subsidy is not found in accordance with the Act or Rules or Regulations issued there under, the State Commission shall take appropriate action against the concerned officers of the licensee for non-compliance as per provisions of the Act.

3. In the said Rules, the existing rule 20 shall be re-numbered as rule 21 and before rule 21 as so re-numbered, the following rule shall be inserted, namely:-

"**20**. **Framework for Financial Sustainability:** (1) The Aggregate Technical and Commercial loss reduction trajectory to be approved by the State Commissions for tariff determination shall be in accordance with the trajectory agreed by the respective State Governments and approved by the Central Government under any national scheme or programme, or otherwise.

(2) The trajectory for both collection and billing efficiency, for distribution licensee shall be determined by the State Commission in accordance with the trajectory approved under sub-rule (1).

(3) All the prudent costs of power procurement, incurred by distribution licensee for ensuring 24x7 supply of electricity to consumers under the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 and for meeting requirements

as per Resource Adequacy plan prepared under the Electricity (Amendment) Rules 2022 shall be taken into account, provided that the procurement of power has been done in a transparent manner or procurement price has been approved by the Appropriate Commission.

(4) All the prudent costs incurred by the distribution licensee for creating the assets for development and maintenance of distribution system in accordance with sub-section (1) of section 42 of the Act shall be pass-through:

Provided that such pass-through of the cost for the assets created by the distribution licensee shall be subject to following conditions:,-

(i) the asset has been created in accordance with the capex roll out plan for the licensee approved by the respective State Commission.

(ii) the asset has been procured in competitive and transparent manner.

(iii) the asset is geo-tagged and properly recorded in Fixed Asset Register.

(5) Gains or losses accrued to distribution licensee due to deviation from approved Aggregate Technical and Commercial loss reduction trajectory shall be quantified on the basis of Average Power Purchase Cost and shared between the distribution licensee and consumers. Two third of the gains shall be passed on to the consumers in tariff and rest shall be retained by the distribution licensee. Two third of the losses shall be borne by the distribution licensee and rest shall be borne by the consumers.

(6) The operation and maintenance norms for distribution licensee shall be determined by the State Commissions in accordance with the guidelines issued by the Authority.

(7) Reasonable Return on Equity shall be permitted, with the assessment of overall risk and the prevalent cost of capital.

(8) The Return on Equity by the State Commission shall be aligned with the Return on Equity specified by the Central Commission for generation and transmission in its Tariff Regulations for the relevant period, with appropriate modification taking intoaccount the risks involved in distribution business.

[F. No. 23/18/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal Rules were published 2005 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and was last amended vide number G.S.R. 817 (E), dated 31st December, 2020 and vide number G.S.R. 911 (E), dated 29th December, 2022 and vide number G.S.R 466 (E), dated the 30th June, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.07.27 17:13:49 +05'30'